पत्रांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र०–19621/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 27-12-13

विषयः– **तत्काल सेवा लागू करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के धारा–3 में वर्णित प्रावधानों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत की जाने वाली निम्न तीन सेवाओं को **"तत्काल सेवा"** के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैः–

i. जाति प्रमाण पत्र।

ii. आवासीय प्रमाण पत्र।

iii. आय प्रमाण पत्र।

1. इन सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी पूर्ववत नाम–निर्दिष्ट लोक सेवक होगे।
2. इन सेवाओं को उपलब्ध कराने की नियत समय–सीमा दो कार्य दिवस होगी।
3. आवेदक को पूर्ववत् आवेदन जमा करने पर पावती दी जाएगी एवं पावती पर 'तत्काल सेवा' अंकित रहेगा।
4. इस सेवा के लिए भी आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
5. इन सेवाओं के तत्काल सेवा के आवेदन के साथ आवेदक को अपने पहचान के साक्ष्य के रूप में समूह–'क' एवं सेवा विशेष की प्राप्ति हेतु समूह–'ख' में वर्णित कागजातों में से एक–एक अनिवार्य रूप से विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा (अनु0–I संलग्न)।

यदि आवेदक के पास समूह–'क' एवं 'ख' से सम्बन्धित कागजात उपलब्ध नहीं हों तो वैकल्पिक स्थिति में स्थानीय हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने पर उक्त तीनों प्रमाण पत्र 'तत्काल सेवा' के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। (जॉच पत्र का नमूना अनु0–II)।

6. इस हेतु प्रत्येक प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय के लिए एक एक अतिरिक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन किया जाए एवं आवश्यकतानुरूप अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए।

7. अंचलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रखण्ड स्तरीय किसी अन्य पदाधिकारी को प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करने हेतु प्राधिकृत किया जाए।
8. आवेदन के साथ संलग्न वांछित कागजातों के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात् प्रमाण पत्र नियत समय–सीमा (दो कार्य दिवस) के अधीन निर्गत कर दिया जाएगा, परन्तु उक्त आवेदन की जांच इन सेवाओं को सामान्य रूप से निर्गत करने हेतु निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्व की भाँति हीं की जाएगी एवं सत्यापन के क्रम में असत्य पाये जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र को रद्द कर इसकी सूचना **"अधिकार सॉफ्टवेयर"** में दर्ज कर दी जाएगी।
9. तत्काल सेवा के तहत निर्गत सभी प्रमाण पत्रों में **"तत्काल सेवा"** अंकित होगा एवं इसके अधोभाग पर यह अंकित रहेगा कि "इस प्रमाण पत्र को उपयोग में लाने से पूर्व इसकी बैधता की जांच सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.bih.nic.in पर प्रमाण पत्र का आई.डी. नम्बर डालकर अवश्य कर लिया जाए।"
10. 'तत्काल सेवा' के क्रियान्वयन हेतु 'अधिकार' सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किए गए है, जिसकी विस्तृत विवरणी संलग्न है (अनु.–III)।
11. दिनांक 24.12.2013 को मुख्यालय स्तर पर आयोजित नोडल पदाधिकारियों/आई.टी. प्रबंधकों की बैठक में उन्हें 'तत्काल सेवा' के प्रावधानों एवं 'अधिकार' सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्त्तन के विषय में प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया गया है। जिलों में प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु उन्हें मिशन द्वारा तैयार किया गया पावरप्वाईंट प्रजेन्टेशन भी उपलब्ध करा दिया गया है।

    'तत्काल सेवा' के सुगम क्रियान्वयन हेतु अनुरोध है कि इस हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं आई.टी. से संबंधित कर्मियों के लिए यथाशीघ्र प्रशिक्षण आयोजित कराया जाए।
12. सामान्य रूप से जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था समानांतर रूप से पूर्ववत बनी रहेगी।
13. अपील के प्रावधान भी पूर्ववत रहेंगे।

14. 'तत्काल सेवा' के प्रावधानों एवं चेक लिस्ट की जानकारी हेतु सभी प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालयों में सूचना पट्ट का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाए।
15. 'तत्काल सेवा' का क्रियान्वयन दिनांक 15-1-2014 से प्रारंभ किया जाए एवं इसके पूर्व सभी आवश्यक तैयारियाँ कर ली जाए।

कृपया उक्त निदेशों से सभी सम्बन्धित अधीनस्थ पदाधिकारियों/ कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोक्त।

(डॉ.धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र० 19621 **दिनांक** 27.12.13

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र० 19621 **दिनांक** 27.12.13

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि e-District से संबंधित चार जिलों में 'तत्काल सेवा' के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु सॉफ्टवेयर में यथाशीघ्र आवश्यक परिवर्त्तन करते हुए संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र० 19621 **दिनांक** 27.12.13

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र० 19621 **दिनांक** 27.12.13

प्रतिलिपिः– सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र० 19621 **दिनांक** 27.12.13

प्रतिलिपिः– विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

19621
27-12-13

अनु0:-I

जाति/आय/आवासीय प्रमाण पत्र 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत प्राप्ति हेतु आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

अंचल अधिकारी,

....

....

विषय:- 'तत्काल सेवा' के तहत .... प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

मैं (नाम) ....पिता/पति..............................ग्राम............. .... पो0...........................मोहल्ला.................................... पंचायत/वार्ड.. मोबाइल.............................. थाना..... .... प्रखण्ड.................................... अनुमंडल.............................. ...... जिला.......................... का निवासी हूँ । मुझे.......................... प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

2. (क) मै पिछड़ा/अति पिछड़ा/अनु. जाति/जनजाति वर्ग के अन्तर्गत ....जाति का सदस्य हूँ।

(ख) मै उक्त पते पर .... वर्षो से स्थायी/अस्थायी रूप से निवास कर रहा हूँ।

(ग) मेरी सभी स्त्रोतों से सकल वार्षिक आय.................................. है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

3. मेरे द्वारा आवेदन के साथ समुह 'क' तथा 'ख' में वर्णित वांछित एक-एक कागजात अथवा विहित प्रपत्र में कर्मचारी/पंचायत सेवक का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है, जिसे अनुलग्नक में चिन्हित कर दिया गया है।

अत: मुझे उक्त प्रमाण पत्र 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत निर्गत किया जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वर्णित सभी सूचनाएँ सही हैं एवं इनके असत्य पाये जाने पर मैं कानूनी कार्रवाई/ दण्ड का भागीदार होउंगा।

तिथि:

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:

19621
27-12-13

समूह (क)

आवेदक के पहचान हेतु निम्न में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-

1 बी.पी.एल.
2 राशन कार्ड
3 मतदाता पहचान-पत्र
4 मतदाता सूची
5 जॉब कार्ड (मनरेगा)
6 विकलांगता प्रमाण-पत्र
7 पासपोर्ट
8 ड्राइविंग लाइसेन्स।
9 आयकर पहचान-पत्र (PAN)।
10 राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र।
11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पासबुक 31.08.2010 तक खोला गया खाता।
12 फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र।
13 सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी फोटोयुक्त अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र।
14 सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र।
15 फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस।
16 फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि ।
17 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश / विधवा पेंशन आदेश।
18 फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड।
19 मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी विद्यार्थी फोटो पहचान पत्र।

19621
27-12-13

समूह (ख)

सेवा विशेष की प्राप्ति हेतु निम्न में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-

जाति प्रमाण-पत्र

(i) खतियान की छाया प्रति ☐

(ii) आवेदक या उनके **परिजन*** के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र। ☐

आवासीय प्रमाण-पत्र

(i) अद्यतन राजस्व रसीद की छाया प्रति। ☐

(ii) भूमिहीनों को आवंटित भूमि का पर्चा की छाया प्रति। ☐

(iii) राजस्व अभिलेख यथा- खतियान/ दान-पत्र/ भूमि संबंधी कागजात की छाया प्रति। ☐

(iv) अद्यतन विद्युत विपत्र की छाया प्रति ☐

(v) अद्यतन दूरभाष विपत्र की छाया प्रति ☐

(vi) आवेदक या उनके **परिजन*** के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र ☐

(vii) अद्यतन होल्डिंग टैक्स भुगतान का रसीद ☐

आय प्रमाण-पत्र-

(i) अद्यतन वेतन पर्ची की छाया प्रति। ☐

(ii) अद्यतन आयकर भुगतान के साक्ष्य की छाया प्रति। ☐

(iii) अद्यतन पेंशन पर्ची की छाया प्रति। ☐

(iv) आवेदक या उनके **परिजन*** के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र ☐

नोट:- ***यदि आवेदक के पास समूह 'क' एवं 'ख' से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं हो तो वैकल्पिक स्थिति में स्थानीय हल्का कर्मचारी/ पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने पर उक्त तीनों प्रमाण-पत्र 'तत्काल सेवा' के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।*** ☐

* **'परिजन' से अभिमत है आवेदक के माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, अविवाहित बहन, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री।**

·19621
27-12-13

अनु0:-II

'तत्काल सेवा' हेतु आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन का जाँच प्रतिवेदन

प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय का नामः-.......................

अधियाचित सेवा का नामः- ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम)........................ .... पिता/पति श्री .... ग्राम/मोहल्ला.................................. वार्ड/पंचायत... थाना................................अंचल.................................. द्वारा 'तत्काल सेवा' अंतर्गत .... प्रमाण-पत्र प्राप्ति हेतु समर्पित आवेदन-पत्र की जाँच की गई पाया गया कि:-

क) आवेदक पिछड़ा/अति पिछड़ा/अनु. जाति/जनजाति वर्ग के अन्तर्गत ....जाति का सदस्य है।

(ख) आवेदन में वर्णित पते पर आवेदक .... वर्षो से स्थायी/अस्थायी रूप से निवास कर रहा है।

(ग) आवेदक की सभी स्त्रोतों से सकल वार्षिक आय........................ रूपये है।

अतः मेरे द्वारा इन्हें ....प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की जाती है।

हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक
का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
हल्का/पंचायत का नाम..............................

19621
27-12-13

अनुलग्नकः-III

'तत्काल सेवा' लागू करने हेतु 'अधिकार' सॉफ्टवेयर में किये गये प्रावधानों की विस्तृत विवरणीः-

(क) आवेदन प्रविष्ट करने एवं पावती निर्गत करने की प्रक्रियाः-

1. **'अधिकार' सॉफ्टवेयर** के **'Tatkal Service New'** Tab पर Click करें।
2. **Apply Tatkal Service** पर Click करें।
3. आवेदक द्वारा समर्पित विहित प्रपत्र में आवेदन में अंकित सूचना सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट करें तथा आवेदन के साथ संलग्न चेक लिस्ट (समूह 'क' एवं 'ख' में से एक-एक कागजात) अथवा स्थानीय हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जॉच प्रतिवेदन के अनुसार सॉफ्टवेर में ✓ करें।
4. आवेदन के साथ चेक लिस्ट के समूह 'क' एवं 'ख' में अंकित कागजातों में से एक-एक या वैकल्पिक रूप में स्थानीय हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाँच प्रतिवेदन संलग्न होने की स्थिति में आवेदन की स्वीकृति की पावती निर्गत की जाएगी। उक्त वांछित कागजात आवेदन के साथ संलग्न नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं अस्वीकृति की पावती निर्गत की जाएगी।

(ख) प्रमाण-पत्रः-

आवेदन के साथ संलग्न वांछित कागजातों का अंचल कार्यालय द्वारा प्रथम द्रष्ट्या सत्यापन के पश्चात अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन पर प्रमाण-पत्र निर्गत करने का आदेश प्राप्त होने पर 'अधिकार' सॉफ्टवेयर में

- **I.** **Certificate Tab के तहत Entry Option पर Click करें।**
- **II.** **आवेदक का i.d. प्रविष्ट कर Search करें।**
- **III.** **प्राप्त i.d. पर प्रमाण-पत्र का निर्गत संख्या डालकर Save button पर Click करें, जिसके उपरांत प्रमाण-पत्र तैयार हो जाएगा।**

19621
27-12-13

(ग) क्षेत्रीय जाँच के पश्चात सत्यापन दर्ज करने की प्रक्रियाः-

1. तत्काल सेवा के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत होने के साथ-साथ प्राप्त आवेदनों की क्षेत्रीय जांच इन सेवाओं को सामान्य रूप से निर्गत करने हेतु निर्धारित समय-सीमा (आवेदन प्राप्ति की तिथि से 10 कार्यदिवस) के अधीन पूर्व की भाँति हीं की जाएगी। क्षेत्रीय जाँच के पश्चात में आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना सत्य अथवा असत्य पाये जाने पर **"अधिकार सॉफ्टवेयर"** में **'Tatkal Service New'** Tab में **'Verify Tatkal Certificates '** Tab में आवेदक के **Application i.d.** के सामने जाँच प्रतिवेदन के फलाफल के अनुरूप क्रमशः **Verified and found Correct** अथवा **Verified and found incorrect** पर ✓ किया जाएगा। 10 कार्यदिवस के अधीन सॉफ्टवेयर में सत्यापन प्रतिवेदन दर्ज हो जाए, इसका अनुपालन अचूक रूप से किया जाना है। सभी अधीनस्थों को इस तथ्य से अवगत करा दिया जाए कि 10 कार्यदिवस के अधीन 'तत्काल सेवा' के तहत प्रमाण-पत्रों का सत्यापन 'अधिकार' सॉफ्टवेयर में अनिवार्य रूप से दर्ज कर दी जाए। जिला पदाधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने स्तर से इसका सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित कराएँगे।

2. किसी प्रकार की त्रुटि न हो इस हेतु इसकी प्रविष्टि की पुनः जाँच हेतु **'Tatkal Service New'** Tab में **'Confirmation of Tatkal Certificate'** Tab में **Application i.d.** डालकर अनिवार्य रूप से जाँच किया जाना है।

(घ) अनुश्रवण की प्रक्रियाः-

1. 'तत्काल सेवा' हेतु निर्धारित दों कार्यदिवसों के अधीन सेवा निष्पादन की स्थिति RTPS के Portal पर Official Login कर पूर्व निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु

   I. Official Login करें।

   II. इसके अन्तर्गत Report Tab पर Click करें।

   III. प्राप्त Tatkal Seva विकल्प पर Click करें।

   IV. तदुपरांत Timeline Status पर Click करें।

19821
27-12-13

2. 'तत्काल सेवा' हेतु प्राप्त आवेदनों की क्षेत्रीय जाँच 10 कार्यदिवस के अधीन कर इसका अनुपालन सत्यापन प्रतिवेदन 'अधिकार' सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया अथवा नहीं इसकी RTPS के Portal पर Official Login कर प्राप्त किया जाना है। इस हेतु

   I. Official Login करें।
   II. इसके अन्तर्गत Report Tab पर Click करें।
   III. प्राप्त Tatkal Seva विकल्प पर Click करें।
   IV. तदुपरांत Status of Verified Report पर Click करें।

(ड) निर्गत प्रमाण-पत्रों की वैधता की जाँच हेतु निर्धारित प्रक्रियाः-

प्रमाण-पत्रों की वैधता की जानकारी निम्न प्रकार प्राप्त की जा सकती है:-

1. **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की वेबसाईट www.gad.bih.nic.in** के **RTPS Link** पर **Click** करें।
2. **RTPS Link** में **'Verify Tatkal Certificates' Tab** पर **Click** करें।
3. इसके अन्तर्गत **Application i.d.** डालकर **Status Button** पर **Click** करें।
4. **Application i.d. Submit** करने की स्थिति में निम्न चार में से कोई एक स्थिति प्राप्त होगी:-
   i. 10 कार्यदिवस तक आवेदन का सत्यापन कार्यालय द्वारा दर्ज नहीं होने पर **'Verification under process'** दृष्टिगोचर होगा।
   ii. कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने एवं आवेदन में वांछित सूचना एवं संलग्न कागजात सत्य पाये जाने की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में किए जाने की स्थिति में **'Verified and found correct. The certificate is valid'** दृष्टिगोचर होगा।
   iii. क्षेत्रीय जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने एवं आवेदन में वांछित सूचना एवं संलग्न कागजात असत्य पाये जाने की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करने की स्थिति में **'Verified and found incorrect. The certificate is invalid'** दृष्टिगोचर होगा।
   iv. निर्धारित समय सीमा 10 कार्यदिवस के अधीन जाँच प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि नहीं किए जाने की स्थिति में **'Not Verified'** दृष्टिगोचर होगा एवं आवेदन **Pending** में **Show** होने लगेगा।